



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072025-264491
CG-DL-E-09072025-264491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2993]
No. 2993]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2025/आषाढ़ 18, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 2025/ASHADHA 18, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2025

का.आ. 3060(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54 डग के स्पष्टीकरण के खंड (खक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) (एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप से स्थापित एक सार्वजनिक लि. सरकारी कम्पनी) द्वारा पांच साल के बाद मोचन योग्य और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से या उसके बाद जारी किए गए बंधपत्र, 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' के रूप में होंगे।

2. आईआरईडीए ऐसे बंधपत्र से प्राप्त राशि का उपयोग केवल उन बुनियादी अक्षय परियोजनाओं के लिए करेगा जो ऋण अदायगी के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर हुए बिना परियोजना राजस्व से ऋण अदायगी कर सकती हैं।

[अधिसूचना सं. 73/2025 /फा. सं. 225/192/2023]

डॉ. कास्रो जय प्रकाश टी., अवर सचिव